

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (गेहूँ) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल एवं रोहतक जिलों जिलों में अनुदान पर ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान, किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 31-01-2019 तक कर सकते हैं।

1. जिलावार ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प (कृषि यन्त्र एवं औजार) के वितरण के लक्ष्य निम्न प्रकार है।

District wise physical and financial target of Power knock sack Sprayer for other farmer (Rs. 500/Unit or 40% of cost whichever is less under NFSM –Wheat 2018-19.			
Sr. No.	Distt	Total	
		Physical Target (in Nos.)	Financial Target (in Rs. Lakhs)
1	Ambala	90	2.25
2	Bhiwani	90	2.25
3	Hisar	90	2.25
4	Jhajjar	90	2.25
5	Mewat	80	2
6	Palwal	80	2
7	Rohtak	80	2
	Total	600	15

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. किसान उपरोक्त ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और भूमि सुधार विकास निगम/हरियाणा बीज विकास निगम/सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।